



2 January, 2024

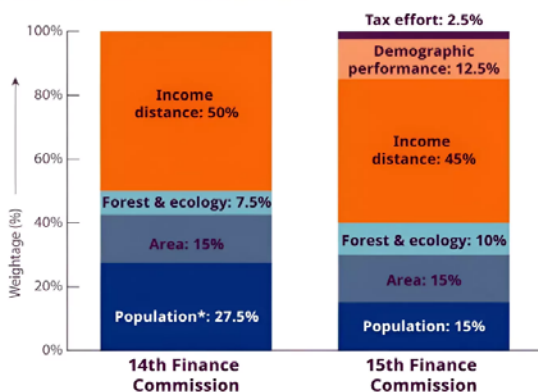
सरकार ने 16वें वित्त आयोग को अधिसूचित किया है

संदर्भ: भारत का सोलहवां वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसार अधिसूचित किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अरविंद पानगढ़िया, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को नियुक्त किया गया है।
- सोलहवें वित्त आयोग के अन्य सदस्यों को अलग से अधिसूचित किया जाएगा और श्री रित्विक रंजनम पांडे को आयोग के सचिव के रूप में नामित किया गया है।
- आयोग संविधान के भाग XII अध्याय I के अनुसार, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण पर सिफारिशें प्रदान करेगा। यह राज्यों के बीच आय के आवंटन का भी सुझाव देगा।
- आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान और प्रावधानों में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दी जाने वाली धनराशि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर भी सिफारिशें करेगा।
- आयोग राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों का समर्थन करने के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों को भी संबोधित करेगा।
- सोलहवां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वित्त के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के लिए वर्तमान वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करने और प्रासंगिक सिफारिशें प्रदान करने का अधिकार रखता है।
- आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू होगी।
- वित्त आयोग:**

- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर पांच वर्ष में गठित एक संवैधानिक निकाय है।
- प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में वित्त आयोग (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1951 के माध्यम से की गई थी।
- प्रत्येक आयोग संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के तहत कार्य करता है जो योय्यता, नियुक्तियों, अयोग्यता, शर्तों, पात्रता और शक्तियों को नियंत्रित करता है।
- संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष और चार अतिरिक्त सदस्य होते हैं।

Revenue-sharing formulas in the 14th and 15th Finance Commissions



वित्त आयोग की भूमिका:

- वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जो भारत में वित्तीय संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को सुव्यवस्थित करने और राज्यों के बीच संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

- वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- यह संसद को सिफारिशों और व्याख्यात्मक ज्ञापन प्रस्तुत करता है तथा सरकार की कार्रवाइयों का विवरण देता है।
- कानूनी अधिकार से सशक्त, वित्त आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं, जिसमें गवाहों को बुलाना और दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध करना शामिल है।

वित्त आयोग के कार्य:

1. करों का वितरण:

- केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय वितरण की सिफारिश करना।
- राज्यों के बीच करों के आवंटन का आधार तय करना।

2. अनुदान-सहायता:

- भारत के समेकित कोष से राज्यों को अनुदान-सहायता के सिद्धांत प्रदान करना।
- अनुदान-सहायता की राशि निर्धारित करने के लिए मानदंड स्थापित करना।

3. पंचायतों और नगरपालिकाओं को सहायता:

- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के सुझाव देना।

- स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने के लिए नीतियां निर्मित करना।

4. अन्य कार्य:

- हर पांच साल में विभाज्य करों को साझा करने का आधार और अनुदान-सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना।
- राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य के समेकित कोष में वृद्धि का मूल्यांकन करना।
- वित्तीय मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना।

एक्स-रे पोला रिमीटर सैटेलाइट (XPoSat)

संदर्भ: इसरो ने 1 जनवरी को अपने पहले पोला रिमीटर मिशन, एक्स-रे पोला रिमीटर सैटेलाइट (XPoSat) को 21 मिनट की उड़ान के बाद 650 किमी की सटीक गोलाकार कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।

मिशन का उद्देश्य:

- एक्सपोसैट दुनिया का दूसरा उपग्रह-आधारित मिशन है जो एक्स-रे ध्रुवीकरण माप के लिए समर्पित है।
- इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लॉन्च किया गया है।

मिशन घटक:

- दो प्राथमिक पेलोड: भारतीय एक्स-रे ध्रुवीकरण मीटर (पोलिक्स) और एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग (एक्सस्पेक्ट)।
- इसे बेंगलुरु में रामन अनुसंधान संस्थान और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा विकसित।
- यह लगभग 650 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा में और लगभग 6 डिग्री के निम्न झुकाव के साथ संचालित होगा।
- इस मिशन का अनुमानित अवधि पांच वर्ष है।

पोलिक्स पेलोड:

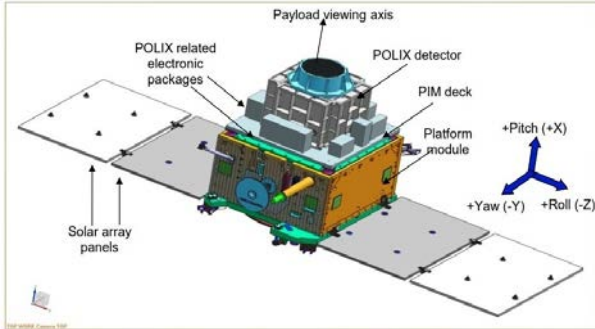
- इसके घटकों में चार एक्स-रे आनुपातिक काउंटर डिटेक्टरों के साथ एक कोलिमेटर और एक स्कैटरर शामिल है।
- यह मैनेटर और न्यूट्रॉन सितारों जैसे स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ध्रुवीकृत एक्स-रे उत्सर्जित करने वाले खगोलीय स्रोतों का अवलोकन करेगा।
- यह विश्व का पहला उपकरण है जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट (keV) के मध्यम एक्स-रे ऊर्जा बैंड के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Face to Face Centres





2 January, 2024



➤ एक्सस्पेक्ट पेलोड:

- यह एक सॉफ्ट एक्स-रे ऊर्जा बैंड (0.8-15 keV) में तीव्र गति से उच्च स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजॉल्यूशन का संचालन करता है।
- यह विभिन्न स्रोतों का अवलोकन करता है, जिनमें एक्स-रे पल्सर, ब्लैक होल बाइनरी, निम्न-चुंबकीय क्षेत्र न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGN) और मैग्नेटार शामिल हैं।

➤ एक्सपोसैट का महत्व:

- यह विशेष रूप से मध्यम ऊर्जा बैंड (8-30 keV) में एक्स-रे ध्रुवीकरण माप में सफल रहा है।
- इसके अवलोकन निरंतर और क्षणिक स्रोतों पर केंद्रित होते हैं, जो मैग्नेटार, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय पिंडों पर महत्वपूर्ण आँकड़े प्रदान करते हैं।
- यह इन ब्रह्मांडीय संस्थाओं में विकिरण प्रकृति और संबद्ध प्रक्रियाओं की समझ को बढ़ाता है।

➤ एक्स-रे ध्रुवीकरण का अध्ययन:

- ध्रुवीकृत एक्स-रे एक ही दिशा में कंपन करने वाली संगठित तरंगें प्रदान करते हैं।
- एक्सपोसैट ब्रह्मांड में विभिन्न सामग्रियों का सामना करने वाले स्रोतों से उत्सर्जित ध्रुवीकृत एक्स-रे का अध्ययन करता है।
- ध्रुवीकरण माप एक्स-रे उत्सर्जित स्रोतों की प्रकृति और जटिल प्रक्रियाओं में गहन समझ प्रदान करते हैं।

➤ वैश्विक मिशनों से तुलना:

- पहले के एक्स-रे ध्रुवीकरण माप मिशन, जैसे एचएक्स-पोल और एक्सएल-कैलिबुर, नासा द्वारा किए गए गुब्बारे-आधारित प्रयोग थे।
- नासा के इमेजिंग एक्स-रे ध्रुवीकरण एक्सप्लोरर (IXPE) के पूरक के रूप में, एक्सपोसैट मध्यम एक्स-रे बैंड में संचालित होता है और अवलोकन ऊर्जा बैंड का विस्तार करता है।
- IXPE सॉफ्ट एक्स-रे बैंड (2 से 8 केवी ऊर्जा) पर केंद्रित है।

➤ एक्स-रे ध्रुवीकरण मिशनों की चुनौतियाँ:

- अत्यधिक संवेदनशील और सटीक उपकरणों के विकास की चुनौती के कारण विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में सीमित प्रयास ही हुए हैं।
- एक्सपोसैट अपने उन्नत पोलिक्स पेलोड के साथ इस चुनौती का समाधान करता है।

➤ भविष्य में प्रभाव:

- यह एक्सपोसैट के मापन, स्पेक्ट्रोग्राफिक, समय और इमेजिंग डेटा के साथ मिलकर, ब्रह्मांड के अज्ञात रहस्यों को प्रकट करने में योगदान देगा।
- यह एक अग्रणी मिशन है जो विश्व स्तर पर एक्स-रे ध्रुवीकरण के क्षेत्र को आगे बढ़ाता है।

भारत में गवाह संरक्षण

संदर्भ: 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित नौ मामलों की पुनः जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एक गवाह को छोड़कर, सभी गवाहों की पुलिस और अर्धसैनिक सुरक्षा हटा दी है।

➤ गवाह की परिभाषा:

- दंड प्रक्रिया संहिता में "गवाह" शब्द की कोई सटीक वैधानिक परिभाषा नहीं है।
- आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 161 जांच अधिकारियों को मामले के तथ्यों से "परिचित होने वाले" किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने की अनुमति देती है।

➤ गवाह संरक्षण की आवश्यकता:

- गवाह आपराधिक मामले को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
- भारत में गवाहों को दुर्व्यवहार, सुविधाओं की कमी, शारीरिक क्षति, धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- शत्रुतापूर्ण गवाह, जो ईमानदारी से गवाही नहीं देते, अभियोजन के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

➤ गवाहों की रक्षा के प्रयास:

- 1958, 1996 और 2001 में विधि आयोग की रिपोर्टों ने गवाहों की कठिनाइयों को प्रकट किया।
- आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2003 का उद्देश्य गवाहों को मुकदमे से रोकना है।
- न्यायमूर्ति वीएस मल्लिक समिति की रिपोर्ट (2003) ने गवाह संरक्षण के लिए कानून बनाने पर जोर दिया था।
- दिल्ली सरकार ने 2015 में एक गवाह संरक्षण योजना अधिसूचित की थी।

HOW IT WILL WORK

WITNESSES TO BE GIVEN PROTECTION BASED ON THREAT PERCEPTION	CATEGORY I Where threat extends to life of the witness or his/her family members and affects their life for a substantial period, during investigation/trial or even thereafter	CATEGORY II Where the threat extends to safety, reputation or property of the witness or his/her family members. It will be only during the investigation process or trial	CATEGORY III Where the threat is moderate and extends to harassment and intimidation of the witness or his/her family members during the investigation process
Witness protection fund: It will be utilized for implementation of the scheme. The fund will be managed by the divisional commissioner	Donations/contributions from national/international/philanthropists/charitable organizations	Receipt of fines imposed under section 357 of IPC to be deposited in the fund	Setting up of specially-designed courtrooms for vulnerable witnesses
The Delhi govt will make allocation in its annual budget	Procedure: Protection will be given based on a threat analysis report submitted by senior police officers	Witness protection cell: To be managed by Delhi Police	Types of Protection: Witness and accused don't come face-to-face during investigation or trial; Monitoring of mails and telephone calls; Changing witness' telephone number or assigning him/her unlisted number; Installing security devices like CCTV cameras at witness' home; Concealment of identity of the witness by referring to him/her with a changed name

➤ गवाह संरक्षण योजना (2018):

- दिसंबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक राष्ट्रव्यापी गवाह संरक्षण योजना शुरू की।
- यह तब तक लागू रहेगी जब तक संसद गवाह सुरक्षा पर कोई विशिष्ट कानून नहीं बना देती है।
- यह आसाराम मामले में जनहित याचिका के आधार पर शुरू की गई थी।

➤ गवाह संरक्षण योजना का कार्य:

- आवेदन प्रक्रिया:
 - सर्वप्रथम गवाह, परिवार, वकील या जांच अधिकारी सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करता है।
 - इसके पश्चात 2018 योजना के तहत गवाह संरक्षण आदेश का अनुरोध किया जाता है।
- खतरा विश्लेषण रिपोर्ट:
 - इसे जिले में पुलिस प्रमुख द्वारा तैयार किया जाता है।
 - वह खतरे की गंभीरता, विश्वसनीयता, उद्देश्यों और संसाधनों का आकलन करता है।

Face to Face Centres



2 January, 2024

- खतरे को वर्गीकृत करता है (ए, बी, सी)।
- **खतरे की धारणा की श्रेणियाँ:**
 - **श्रेणी ए:** जांच, सुनवाई या उसके बाद गवाह या परिवार के जीवन के लिए खतरा।
 - **श्रेणियाँ बी और सी:** जांच या सुनवाई के दौरान सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति के लिए खतरा, और मध्यम खतरे की धारणा।
- **अंतरिम संरक्षण और तत्काल उपाय:**
 - सक्षम प्राधिकारी तत्काल आवश्यकता के आधार पर अंतरिम संरक्षण आदेश जारी कर सकता है।
 - जान के गंभीर और आसन्न खतरों के मामलों में तत्काल पुलिस सुरक्षा भी कर सकता है।
- **सुरक्षात्मक उपाय:**
 - उपायों में पहचान की सुरक्षा, गवाह का स्थानांतरण, गोपनीयता और रिकॉर्ड संरक्षण शामिल हैं।
 - इसमें सुरक्षा से संबंधित व्यय की वसूली शामिल है।
- **कार्यान्वयन और प्रवर्तन:**
 - गवाह संरक्षण योजना सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से संचालित होती है, जो गवाहों और उनके परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
 - इसमें पुलिस, कानूनी अधिकारियों और उच्च न्यायालयों के साथ समन्वय शामिल है।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

K-SMART (के-स्मार्ट) ऐप



हाल ही में, केरल सरकार ने K-SMART ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य त्रि-स्तरीय स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है।

के-स्मार्ट ऐप के बारे में:

- K-SMART (केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉमेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन) ऐप त्रिस्तरीय स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करने और प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।
- यह देश में ऐसी पहली पहल है, जिसके माध्यम से किसी विभाग की सभी सेवाओं को आम जनता के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इस ऐप से उन प्रवासियों को भी राहत मिलेगी जो कार्यालयों में आए बिना स्थानीय निकायों की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।
- यह पहल समाज में डिजिटल विभाजन को कम करेगी।
- प्रारंभ में, इसे राज्य आईटी विभाग के सूचना केरल मिशन द्वारा विकसित किया गया था, वर्तमान में यह सभी निगमों और नगर पालिकाओं में चालू होगा।
- यह विविध तकनीकी विषयों को भी एकीकृत करता है, जिसमें ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीआईएस/स्थानिक डेटा, चैटबॉट, संदेश एकीकरण, विभिन्न सॉफ्टवेयर का एपीआई एकीकरण, मशीन लर्निंग, डेटा विज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, आभासी और संबंधित वास्तविकता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि शामिल हैं।

हाटी (Hatee) समुदाय



हाल ही में, केंद्र द्वारा एक स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के बाद, हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दे दिया गया।

हाटी समुदाय के बारे में:

- हाटी समुदाय उन सभी लोगों का एक घनिष्ठ समूह है जो अपनी फसलें, सब्जियाँ, मांस और ऊन छोटे शहरों के बाजारों में बेचते हैं जिन्हें "हाट" कहा जाता है।
- उनकी मातृभूमि गिरि और टोंस नदियों के बेसिन में स्थित है, ये दोनों यमुना की सहायक नदियाँ हैं, और हिमाचल-उत्तराखंड की सीमा तक विस्तृत हैं।
- ये समुदाय खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित होते हैं, जो सभी सामुदायिक मामलों का निर्णय करती है।
- इस समुदाय के पुरुष पारंपरिक रूप से औपचारिक अवसरों पर एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, हाटी समुदाय की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख है जबकि वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 3 लाख है।
- इस समय हाटी समुदाय कामरौ (Kamrau), संगराह (Sangrah) और शिलियाई (Shilliai) क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जो स्थलाकृतिक अलगाव के कारण शिक्षा और रोजगार में सामान्य जन से पीछे हैं।

वर्ली जनजाति



हाल ही में वर्ली जनजाति ने मुंबई में अपनी आवास योग्य ज़मीन पर शिवाजी संग्रहालय के निर्माण का विरोध किया है।

वारली जनजाति के बारे में:

- वारली जनजाति पश्चिमी भारत की एक स्वदेशी जनजाति है।
- ये गुजरात और महाराष्ट्र के पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और कोंकणी तथा मराठी जनसमुदाय से संबंध रखते हैं।
- "वारली" शब्द "वारला" शब्द से आया है, जिसका अर्थ है "भूमि का टुकड़ा"।
- ये जनजाति अपनी पेंटिंग्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, जिन्हें वर्ली पेंटिंग्स कहा जाता है।
- वारली अपने चित्रों में वृत्तों (सूर्य और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं) और त्रिकोण (पहाड़ों और शंक्वाकार पेड़ों को दर्शाते हैं) का उपयोग करते हैं, जो प्रकृति संबंधित उनके अवलोकन में दिखता है।
- कुछ लोग वारली को भील जनजाति की उपजाति मानते हैं और उनकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी।
- वे अपनी सफेद पेंटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, जो चावल के आटे, पानी और गोंद से बनाई जाती हैं और चवाने वाली बांस की छड़ी से बनाई जाती हैं।
- वर्ष 1945 में, वर्ली जनजाति ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक किसान संघर्ष में भाग लिया था।

Face to Face Centres





2 January, 2024

	हाल ही में, भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) शामिल है, ने कहा कि जापान के पश्चिमी तट पर आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद भारत में सुनामी का कोई खतरा नहीं है। INCOIS के बारे में: - भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वतंत्र संगठन है। - इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी और यह हैदराबाद में स्थित है। - INCOIS का कार्य समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को समुद्री जानकारी और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना है। - यह यूनेस्को के आईओसी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का एक स्थायी सदस्य तथा हिंद महासागर वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली (आईओजीओओएस) और महासागरों के अवलोकन के लिए साझेदारी (पीओजीओ) का संस्थापक सदस्य है। - इसमें कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम (सीबीएस) भी है, जो कोरल वातावरण में जमा धर्मल तनाव का आकलन करने के लिए उपग्रह-व्युत्पन्न समुद्री सतह तापमान (एसएसटी) का उपयोग करता है। - इसमें पृथ्वी विज्ञान की चार मुख्य शाखाएँ शामिल हैं: महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वायुमंडलीय और जलवायु विज्ञान, भूविज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ध्रुवीय विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर।
मनोरोग विश्लेषण 	हाल ही में, संसद सुरक्षा उल्लंघन के आरोपियों की मानसिक स्थिति और घटना के लिए संभावित प्रेरणाओं की जानकारी के लिए उनका मनोरोग विश्लेषण किया गया। मनोरोग विश्लेषण के बारे में: - मनोरोग विश्लेषण एक चिकित्सीय तकनीक और सिद्धांत है जिसमें सपनों का विश्लेषण करना, मुक्त मानवीय संबंधों की खोज करना और चिकित्सक तथा रोगी के बीच स्थानांतरण और प्रतिरोध की जांच करना शामिल है। - यह एक टॉकिंग थेरेपी है जिसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक अनुभव के अचेतन और सचेत तत्वों के बीच के संबंधों की जांच करके मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करना है। - यह इस विश्वास पर आधारित है, कि सभी लोगों के पास अचेतन विचार, भावनाएँ, इच्छाएँ और यादें होती हैं। - यह बचपन के शुरुआती अनुभवों और अचेतन मन की छिपी कार्यप्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालता है। - सिगमंड फ्रायड (1856-1939) को मनोरोग विश्लेषण का जनक माना जाता है। - उनका मानना था कि अचेतन तत्वों तक सपनों, मुक्त साहचर्य (Free association) आदि के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
चर्चित स्थल साल्टन सागर	हाल ही में, अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। साल्टन सागर के बारे में: - साल्टन सागर दक्षिणी कैलिफोर्निया के निचले कोलोराडो रेगिस्तान में एक उथली और खारी झील है। - यह कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी झील और संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी खारी झील है। - यह मिनेसोटा के ग्रेट लेक्स क्षेत्र में अवस्थित है। - यह प्रवासी जलपक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है और उत्तर से कनाडा की ओर प्रवास करने वाले पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास भी है। - माना जाता है कि यह समुद्र 20वीं सदी की शुरुआत में गलती से बन गया था जब कोलोराडो नदी ने एक सिंचाई नहर तोड़ दी थी, जिससे पानी साल्टन सिंक में बहने लगा था। - यह लगभग 400 मेगावाट भूतापीय बिजली उत्पादन क्षमता वाला एक ज्ञात भूतापीय संसाधन क्षेत्र (KGRA) भी है। लिथियम: - लिथियम कम घनत्व वाला एक ठोस तत्व है। इसका उपयोग मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जबल बैटरी बनाने में किया जाता है। - इसका उपयोग सिरेमिक और ग्लास, ग्रीस, फार्मास्यूटिकल यौगिकों, एयर कंडीशनर और एल्यूमीनियम उत्पादन में भी किया जाता है। - फरवरी 2023 में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन लिथियम की खोज की थी। 

POINTS TO PONDER

- ❖ राजस्थान विधान सभा के हाल ही में निर्वाचित पीठासीन अधिकारी कौन हैं? - **वासुदेव देवनानी**
- ❖ 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा खेल शामिल किया गया है? - **स्क्वाश**
- ❖ गुरु गोबिंद सिंह के चार पुत्रों की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? - **26 दिसंबर**
- ❖ डीन एल्गर, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, किस टीम के पूर्व कप्तान थे? - **दक्षिण अफ्रीका**
- ❖ हाल ही में खबरों में रहा अमन्या किला किस क्षेत्र में स्थित है? - **साइबेरिया**

Face to Face Centres

